

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं० सं०-०४/निदे० महा० वि० मि०-१८३-०८/२०२६- १३२

प्रेषक,

प्रियंका रानी भा० प्र० से०,
निदेशक

सेवा में,

उप सचिव,
-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति
कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- १५/१४/२६

विषय:- वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में राज्य स्कीम से बिहार महादलित विकास मिशन को अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण मद में ₹२,१८,२९,७६०/- एवं सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में ₹३२,००,०००/- अर्थात् कुल राशि ₹२,५०,२९,७६०/- (दो करोड़ पचास लाख उनतीस हजार सात सौ साठ रु०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में राज्य स्कीम से बिहार महादलित विकास मिशन को अनुसूचित जनजाति के विकास सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण मद में ₹४,५७,०६,०६० एवं सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में ₹६७,००,०००/- अर्थात् कुल राशि ₹५,२४,०६,०६०/- (पाँच करोड़ चौबीस लाख छः हजार साठ रु०) मात्र अनुदान के रूप में उपलब्ध कराते हुए योजना के कार्यान्वयन करने की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय करने की अतिरिक्त स्वीकृति पत्रांक- १३१ दिनांक- २४/०८/१६ द्वारा प्रदान की गयी है।

२- उक्त स्वीकृत्यादेश, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-२५६१ दिनांक-१७.०४.१९९८ एवं पत्रांक-३१४ दिनांक-०१.०४.२०२६ तथा महादलित विकास मिशन को अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण मद में ₹२,१८,२९,७६०/- एवं सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में ₹३२,००,०००/- अर्थात् कुल राशि ₹२,५०,२९,७६०/- (दो करोड़ पचास लाख उनतीस हजार सात सौ साठ रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

३-आवंटित राशि का व्यय राज्य स्कीम मद से मांग संख्या-४४ के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-२२२५-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष ०२-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, लघु शीर्ष १०२-आर्थिक विकास उपशीर्ष ०१०५-अनुसूचित जनजाति विकास हेतु-विषय शीर्ष-३१.०५-सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण मद-०११५.३१.०६-सहायक अनुदान-गैर वेतन, विपत्र कोड-४४-२२२५०२१०२०१०५ के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

४-इस आवंटित राशि के लिए निकासी पदाधिकारी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे। वे राशि बिहार महादलित विकास मिशन, पटना को पी०एल० खाता संख्या-PTSP/LA012 में हस्तांतरित करेंगे। मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में कंडिका-३ में उल्लेखित मद पर ही उक्त राशि का व्यय किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

5-राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-314 दिनांक-01.04.2026 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेश के आलोक में करेंगे।

6-महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकक्षण करने का अधिकार होगा।

7-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

8-राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन पटना पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा योजना से संबंधित मासिक व्यय विवरणी एवं अंकक्षण प्रतिवेदन के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में विभाग को विधिवत निर्धारित समय पर उपलब्ध करायेंगे।

9-सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि के आवंटन की सूचना दी जा रही है।

10-वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट प्रावधान एवं उद्व्यय उपलब्ध है।

विश्वासभाजन,

निदेशक

ज्ञापांक-04/निदे0महा0वि0मि0-183-08/2026-132

दिनांक- 29/8/26

प्रतिलिपि (1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग/निगरानी विभाग/योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना/मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) अपर सचिव/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/उप निदेशक (मु०)/प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07जी० (दोहरी प्रति में)/आई० टी० मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी-प्रशाखा-4डी०/सांख्यिकी कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक